

म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर
सहायक यंत्री (विद्युत/यांत्रिकी) लिखित परीक्षा-2010
परीक्षा दिनांक 26.12.2010 (रविवार)

विज्ञापित क्र. 1584/14/2011/अनु-10

इन्दौर, दिनांक 26.03.2011

आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक 06/चयन/2010/19.07.2010 ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि 25.08.2010 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सहायक यंत्री (विद्युत/यांत्रिकी) के अस्थायी कुल 04 पदों हेतु सहायक यंत्री (विद्युत/यांत्रिकी) लिखित परीक्षा 2010 परीक्षा दिनांक 26.12.2010 (रविवार) को एक सत्र में प्रातः 10.00 से 12.00 बजे तक परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर पर आयोजित की गई थी।

कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या अनारक्षित 03, अनुसूचित जाति -निरंक-, अनुसूचित जनजाति 09, अन्य पिछड़ा वर्ग-निरंक-, विकलांग-निरंक-, भूतपूर्व सैनिक-निरंक है। लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों की सूची निम्नानुसार है-

Roll No. Wise List of All Provisionally Selected Candidates for Interview

S.No	ROLL	NAME	REMARKS
1	1005	ABHISHEK DUBEY	
2	1052	BABU SINGH MANDLOI	
3	1065	DAYARAM CHOUHAN	
4	1073	DHANNALAL KANEL	
5	1134	MUKESH MORE	
6	1144	NITIN RATHOD	
7	1162	PRAKASH DHURVE	
8	1228	SHAILENDRA SINGH CHOUHAN	
9	1234	SHIVRAM SOLANKI	
10	1241	SOURABH NEGE	
11	1246	SUKHDEV SINGH THAKUR	
12	1307	SUNEEL KUMAR CHOUHAN	

S/2000/11/1/2613/11

टीप:-

- (1) सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जाएंगे।
- (2) सहायक यंत्री (विद्युत/यांत्रिकी) लिखित परीक्षा 2010 परीक्षा दिनांक 26.12.2010 (रविवार) के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर (दो प्रतियों में) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों की (प्रमाणित छायाप्रति) संलग्न कर दिनांक 20.04.2011 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फार्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनके स्थान पर वर्गवार गुणानुक्रम के आधार पर आने वाले आवेदकों को शामिल कर लिया जायेगा।
- (3) प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही साक्षात्कार दिनांक 04-06-2011 से आयोजित होंगे।
- (4) परीक्षा में प्रत्याशियों को प्रवेश से संबंधित शर्तों के अनुसार अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणिक प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (5) आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा।
- (6) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।
- (7) प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचनाफलक पर देखने के लिए उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चर्या की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।

S. K. Sharma
26/3/11
(डॉ. श्रीकृष्ण शर्मा)
परीक्षा नियंत्रक